the yp foundation
Developing potential in young people

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के तहत युवा अनुकूल यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर एक युवा नेतृत्व शोध अध्ययन

द वाई पी फाउंडेशन (टीवाईपीएफ) नई दिल्ली, भारत में स्थित एक युवा संचालन और नेतृत्व वाला संगठन है, जो युवाओं को जेंडर, यौनिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्रों में कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभावित करने के लिए सक्षम बनाता है और समर्थन प्रदान करता है। पिछले 13 वर्षों में, टीवाईपीएफ ने भारत में 6,500 युवाओं के साथ सामाजिक न्याय के मुद्दों और मानव अधिकारों पर उनका दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया है, और भारत में 300 से अधिक परियोजनाएँ स्थापित करने, और 18 राज्यों में 3 से 28 आयु वर्ग के 450,000 किशोरों और युवाओं तक पहुँचने का कार्य किया है।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (एसआरएचआर) उन मूल मुद्दों में से एक है **जिन पर द वाई पी फ़ाउंडेशन कार्य करता** है। टीवाईपीएफ का मुख्य कार्यक्रम – **शरीर अपना, अधिकार अपने** (नो योर बॉडी नो योर राइट्स) – एक युवा–नेतृत्व वाला सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम है जो युवाओं को अपने जेंडर, यौनिकता, स्वास्थ्य, अधिकारों, एचआईवी और युवा–अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी का उपयोग करने के लिए सशक्तत बनाता है। कार्यक्रम के माध्यम से 10 और 25 वर्ष की आयु समूह के युवाओं के साथ एक व्यापक यौनिकता शिक्षा पाठ्यक्रम को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम ने व्यापक यौनिकता शिक्षा पाठ्यक्रम को नीतियों और सरकारी कार्यक्रमों में शामिल किए जाने के लिए पैरवी भी की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, **द वाई पी फ़ाउंडेशन** ने लखनऊ, जहाँ ऑडिट आयोजित किया गया है, 1500 युवाओं के साथ व्यापक यौनिकता शिक्षा के मुददे पर काम किया है।

युवा और यौनिकताः

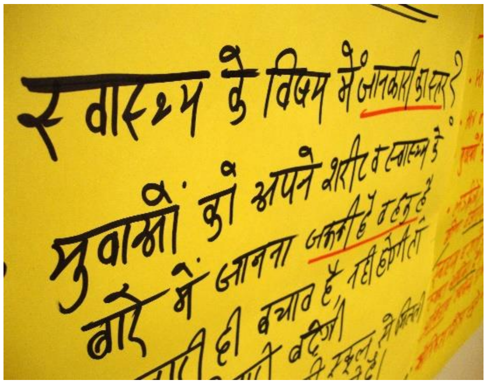

भारत की कुल आबादी का 30 प्रतिशत हिस्सा 10 और 24 वर्ष की आयु समूह के युवाओं का है। भारतीय आबादी में लगभग 11 प्रतिशत किशोरियाँ हैं और दुनिया की आबादी में 20 प्रतिशत किशोरियाँ है। इन संख्याओं के बावजूद, युवाओं को जानकारी, सेवाओं तक पहुँच से और निर्णय लेने के किसी भी रूप से योजनाबद्ध तरीके से दूर रखा जाता है। युवा लड़कियाँ, युवाओं के बड़े समूह के भीतर हाशिए पर रहती हैं और एक अदृश्य समूह बनी रहती हैं। आम तौर पर समाज उनके मानव अधिकारों का सम्मान करने में विफल रहता है, उन्हें घर, स्कूल या काम पर अपने जीवन में कोई सुधार कर पाने के लिए शक्तिहीन कर देता है। यह उनके जीवन के पाँच महत्वपूर्ण पहलुओं – यौन स्वास्थ्य, जल्दी शादी और जल्दी गर्भावस्था, घरेलू हिंसा, शिक्षा, रोजगार

N-204 Greater Kailash, Part 1, New Delhi – 110048. T.: +91.11.46792243
E.: mailto:holler@theypfoundation.org. W.: http://www.theypfoundation.org
A Registered Charitable Trus

और आय – में साफ तौर पर झलकता है। यौनिकता के मुद्दों के आसपास चुप्पी युवाओं के लिए विशेष रूप से गंभीर है। 18 साल की उम्र तक युवाओं में किशोर अव्स्था शुरू हो जाती है, और उपलब्ध ऑकडों के अनुसार 16 साल की उम्र तक ज़्यादातर युवा यौन गतिविधियों में सक्रिय हो चुके होते हैं। फिर भी, देश भर से शोध अध्ययन, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर अधिकार सकारात्मक व्यापक जानकारी और इस जानकारी पर युवाओं की पहुँच की ज़रूरत के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर की पुष्टि करते हैं। यौन (सेक्स) के बारे में किसी भी बातचीत को अनैतिक या बुरे की छाप देने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड, अपने शरीर, यौनिकता, इच्छा और यौन हिंसा को रोकने पर किसी भी तरह की जानकारी पर पहुँच को ज़्यादातर लोगों के लिए असंभव बना देते हैं।

जहाँ **शरीर अपना, अधिकार अपने कार्यक्रम** ने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार (एस0आर0एच0आर) के बारे में उन युवाओं – जिन तक पहुँच बनी है – उनकी जानकारी, ज्ञान के स्तर और कौशल में वृद्धि की है, वहीं उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एस0 आर0 एच0 आर0 सेवाओं के लिए युवाओं की पहुँच में सुधार करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। हालाँकि, इसके दौरान कई बाधाएँ निकल कर सामने आई हैं। सबसे पहले, कानूनी पहलू युवाओं के लिए एस0आर0एच0आर सेवाओं पर पहुँच को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। उदाहरण के लिए, गर्भपात जैसी कुछ सेवाओं के उपयोग के लिए अभिभावक की सहमति की आवश्यकता (लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो), जो लड़कियों को अवैध और असुरक्षित गर्भपात सेवाएँ लेने की दिशा में धकेल देते हैं। बाल यौन शोषण के खिलाफ हाल ही में अधिनियमित कानून – यौन उत्पीडन से बच्चों की सुरक्षा कानून 2012 (POCSO) – में कुछ शर्तें हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनरों को सेवाएँ प्रदान करने से रोकती हैं। ऐसी बाधाओं को देखते हुए, युवाओं को एस0आर0एच0आर सेवाओं से जोड़ना एक कठिन कार्य रहा है।

इस संदर्भ में, **द वाई पी फ़ाउंडेशन**ने लखनऊ में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का युवा–नेतृत्व मे ऑडिट कराने का फैसला किया।

अध्ययन के बारे में

इस अध्ययन की पद्धति को एक लाभ के रूप में देखा गया है। सभी शोधकर्ता एस0आर0एच0आर0 के मुद्दों पर कम से कम एक वर्ष के कार्य अनुभव वाले थे और युवाओं की यौनिकता एवं यौन अधिकारों के प्रति स्पष्ट तथा अधिकार सकारात्मक मूल्यों के साथ आए थे। यह अध्ययन, युवाओं के एस0आर0एच0आर मे। शामिल सभी जटिल मुद्दों को कवर नहीं करता है।

दि वाई पी फाउंडेशन ने अपने सहकर्मी शिक्षक के मौजूदा नेटवर्क तक पहुँचने के लिए, युवा अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं (वाईएफएचएस) की गुणवत्ता का विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का आंकलन करने के लिए औपचारिक रूप से अपनी भागीदारी **यह** एक सोच (यस) फाउंडेशन के साथ बढ़ाई। **यह एक सोच** फाउंडेशन

N-204 Greater Kailash, Part 1, New Delhi – 110048. T.: +91.11.46792243
E.: mailto:holler@theypfoundation.org. W.: http://www.theypfoundation.org
A Registered Charitable Trus

एक लखनऊ–आधारित संगठन है, जिनका लक्ष्य स्वास्थ्य, जनसंख्या, निवास स्थान, जेंडर की घिसीपिटी छवियों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार, राष्ट्रीय एकता और शांति के मुद्दों पर युवाओं के दृष्टिकोण को मज़बूत करना है।

हमने **शरीर अपना, अधिकार अपने कार्यक्रम** के साथ काम करने वाले 12 शोधकर्ताओं को भी शामिल किया। 12 युवा शोधकर्ताओं की प्रशिक्षित टीम ने लखनऊ में – निजी, सरकारी, गैर सरकारी और नीम हकीम स्वास्थ्य प्रदाताओं – के 29 स्वास्थ्य केन्द्रों को ऑडिट में शामिल किया। युवा शोधकर्ताओं की टीम ने, स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यक्तिगत रूप से, 2 से 3 लोगो के समूह में दौरा किया, और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कि गर्भपात परामर्श, एचआईवी परामर्श और परीक्षण, आरटीआई/एसटीआई परामर्श और परीक्षण, गर्भनिरोधक सेवाओं आदि का उपयोग किया।

अध्ययन के उद्देश्यः दा0 वाई0 पी0 फॉउंडेशन ने यह शोध अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आयोजित किया:

- *युवाओं के यौनिक व प्रजनन स्वास्थ्य के लिये उपलब्ध सेवाओं जैसे– एच0 आइ0 वी0, हिंसा, व यौन दुर्व्यवहार पर काउंसलिंग, आर0 टी0 आई0 एस0 टी0 आई0 की को बढावा देना*
- *स्टिगमा फ्री स्वास्थ्य सेवाओं की पैरोकारी करने के लिये युवाओ का एक समुह तैयार करना*
- *युवाओं के लिये स्वास्थ्य सेवाओ की गुणवत्ता व उपलब्धता पर जानकारी को बढाना*

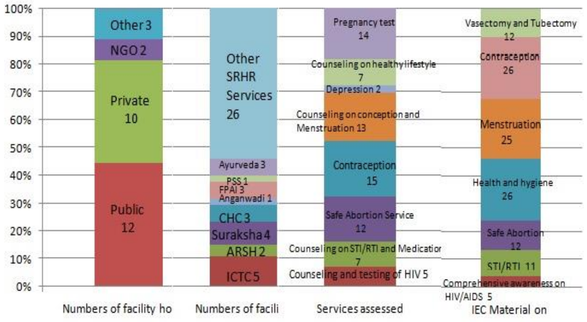

Health Facilities Profile

मुख्य जाँच परिणाम

- ∂ जानकारी पर पहुँच की कमी – युवाओं की उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की ज़रूरत और उपलब्धता और उसकी माँग के बीच एक गंभीर अंतर है।
- ∂ गर्भपात और गर्भनिरोधक सेवाओं से जुड़ा गहरा कलंक – युवा महिला सहकर्मी शिक्षकों को उनकी उम्र के आधार पर और अविवाहित होने के कारण गर्भपात सेवाओं से इन्कार किया गया। और उन्हें गर्भनिरोध और अन्य गोलियाँ देने से भी मना कर दिया गया। ''माता–पिता की सहमति के बिना अविवाहित महिलाओं के लिए कोई गर्भपात सेवा नहीं है''
- ∂ ज्ञान/जानकारी की अभावः सेवा प्रदाता नीति द्वारा अनिवार्य की गई सुविधाओं से अनजान हैं जैसे कि सुरक्षा क्लिनिक, आई0सी0टी0सी0, और अर्श क्लीनिक जो कि स्वास्थ्य केन्द्र के भीतर स्थित है, जिनमें ए0एफ0एच0सी भी शामिल हैं।

- सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय की कमीः राज्य स्तर पर योजना और कार्यान्वयन अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी है।
- गर्भनिरोधकों व अन्य उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धताः एक युवा शोधकर्ता ने स्वास्थ्य केन्द्र का दौरा किया और एक आपातकालीन गर्भनिरोधक माँगा, तो एएनएम ने जवाब दिया, ''यहाँ पर दुकान लगी है क्या?''।
- एकांतता और गोपनीयता का अभाव – शोधकर्ताओं में से एक ने अपनी यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) की जाँच के लिए कहा, उपस्थित डॉक्टर चिकित्सक द्वारा परामर्श कमरे के भीतर अन्य डॉक्टरों और मरीजों के सामने ही उसकी जॉच की!
- किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक की कमी – लखनऊ में केवल 2 किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक पाए गए। वे अच्छी तरह काम कर रहे हैं। दोनों में प्रति दिन 20–25 रोगियों का आना होता है। परंतु युवाओं में ए0एफ0एच0सी के बारे में जागरूकता की काफी कमी है।

अनुशंसाएँ / मांगें

इस अध्ययन के से हमने देखा कि युवाओं की पहचान सिर्फ लाभार्थियों के रूप में नहीं बल्कि अधिकार धारकों के रूप में स्थापित करने का संकेत देते हैं। अधिकांश शोधकर्ताओं के लिए, सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके प्रति कलंक और आलोचनात्क दृष्टिकोण ने उन्हें बहुत अधिक चिंता और निराशा दी। शोधकर्ताओं को अपने यौन और प्रजनन अधिकारों के बारे में जानकारी और ज्ञान होने के बाद भी यह उनके लिए वास्तविकता बनी रही। इसलिए, जिन युवाओं को इस कलंक या अपने यौन एवं प्रजनन अधिकारों के बारे में कोई जागरूकता नहीं है उन पर इसका गहरा असर हो सकता है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और उन्हें ''युवा अनुकूल'' बनाने की अतिआवश्यक ज़रूरत पता चलती है, जो अंततः स्वास्थ्य व खुशहाली को बढ़ावा दे न कि इसका उल्टा करें।

ऊपर सूचीबद्ध निष्कर्षों के आधार पर, अध्ययन करने के बाद युवा समुह राज्य और गैर–राज्य हितधारकों के लिये निम्न मांगे निकलकर आयी हैः

1. सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य केन्द्र के सभी कर्मचारियों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का बुनियादी जानकारी प्राप्त हो – स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी कर्मचारी, खासकर जो लोग पंजीकरण काउंटरों पर तैनात हैं, उन्हें यौन एवं स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी शब्दावली के साथ तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य केन्द्र के भीतर स्थिति जिम्मेदारी / स्कोप / सभी विभागों और सुविधाओं के स्थान की सही–सही जानकारी होनी चाहिए। यह सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ सभी कर्मचारियों को इसके अतिरिक्त उन सुविधाओं की जानकारी भली–भाँति होनी चाहिए जिन्हें सरकारी योजनाओं और नीतियों द्वारा अनिवार्य किया गया है।

N-204 Greater Kailash, Part 1, New Delhi – 110048. T.: +91.11.46792243
E.: mailto:holler@theypfoundation.org. W.: http://www.theypfoundation.org
A Registered Charitable Trus

2. गैर–आलोचनात्मक और अधिकार सकारात्मक सेवा प्रदान करने की माँग – सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सभी युवाओं की अनुल्लघंनीयत्र गोपनीयता और एकांतता; सभी युवाओं की शारीरिक अखंडता का सम्मान; आयु, जेंडर, लिंग, यौनिकता, वर्ग, जाति, आर्थिक स्थिति, धर्म, क्षमता, रोजगार आदि के आधार पर भेदभाव के बिना सभी के लिए सेवाएँ प्रदान करने की गारंटी देनी चाहिए, और, युवाओं, विशेष रूप से किशोरों का इलाज करते हुए धैर्य और विस्तृत तरीके से कार्य करने का पालन करना चाहिए।

3. युवाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी की पहुँच तेज करना– राज्य को विविध मीडिया के माध्यम से तेज करना चाहिए कलंक से मुक्त, प्रमाण आधारित और तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी, शिक्षा और संचार (आई0ई0सी) सामग्री के प्रकाशन और दृश्यता को तेज करना चाहिए, ताकि युवाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं (एसटीआई /आरटीआई, गर्भनिरोधक, गर्भपात आदि सहित) पर जागरूकता को बढ़ावा मिल सके। गलत जानकारी को हटाने के लिए मौजूदा आईईसी सामग्री की समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए।

- वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता में रखना
  यह ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादातर युवा खर्चो से संबंधित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, सभी एस0आर0एच सेवाओं के मूल्यों को विनियमित किया जाना चाहिए और सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- सुविधाओं और जानकारियों को विकलांग युवाओं के पहुँच योग्य बनाएँ– हालाँकि यह अध्ययन विकलांग युवाओं के अनुभवों के मानचित्रण के दायरे में सीमित है, फिर भी विकलांग लोगों के लिए जानकारी को सुलभ बनाने (जैसे ब्रेल में आईईसी सामग्री) और स्वस्थ्य केन्द्रों को अनुकूल बनाने (उदाहरण के लिए, व्हीलचेयर आसानी से उपलब्ध हो और अक्षमताओं वाले लोगों को दी जाएँ) की बहुत अधिक आवश्यकता है।
- एएफएचसी की पहुँच का विस्तार– जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, लखनऊ में युवा आबादी के साथ लखनऊ में केवल 2 किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक हैं। यह बात किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक की संख्या और पहुँच का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करती है। इसके अतिरिक्त, ए0एफ0एच0सी0 के बारे में विशेष रूप से अपने लक्षित दर्शकों – किशोरों और युवाओं– के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अग्रसक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए।
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पीयर एडूकेटर्स के चयन, नियुक्ति और प्रशिक्षण पर तुरंत कार्यवाही करना – आर0के0एस0के0 कार्यक्रम के तहत सहकर्मी शिक्षक, समुदाय और सेवाओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे युवाओं के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सूचना और सेवाओं के महत्व पर समुदाय की चेतना बढ़ाएँगें; और उसी के लिए युवाओं की ज़रूरत पर इन वातावरणों को संवेदनशील बनाएँगे; और इस प्रकार युवाओं की यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की माँग और पहुँच को समर्थक माहौल देने को बढ़ावा देंगे। इसलिए, सहकर्मी शिक्षकों को पहचानना और उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

N-204 Greater Kailash, Part 1, New Delhi – 110048. T.: +91.11.46792243
E.: mailto:holler@theypfoundation.org. W.: http://www.theypfoundation.org
A Registered Charitable Trus

- स्वास्थ्य क्नीनिक पर किशोरों व युवाओं की एकांतता व गोपनियता सुनिश्चित करने के बुनियादी ढाँचे में सुधार – सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के एसआरएच विभागों के भीतर अलग स्थानों की तत्काल स्थापना की जानी चाहिए ताकि डॉक्टर युवाओं को देखने के साथ–साथ प्रत्येक रोगी की एकांतता और गोपनीयता को कायम रख सकें।
- व्यापक यौन शिक्षा को मुख्यधारा में लाना – किशोर शिक्षा कार्यक्रम (ए0ई0पी0) पर से उत्तर प्रदेश के प्रतिबंध को हटाना– अपने शरीर और अधिकारों के बारे में जानकारी पर पहुँच के बिना, युवा स्वस्थ और जानकारी अधारित निर्णय लेने में शक्तिहीन और असमर्थ ही रहेंगे।

N-204 Greater Kailash, Part 1, New Delhi – 110048. T.: +91.11.46792243
E.: mailto:holler@theypfoundation.org. W.: http://www.theypfoundation.org
A Registered Charitable Trus